सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या– 110
29/01/2026

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

पटना–29 जनवरी, 2026 ::– आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में 31 (एकतीस) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्री अरविन्द कुमार चौधरी ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित **सभा कक्ष** में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से प्री–मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा–I से IV तक ₹1200/–वार्षिक, कक्षा–V से VI तक ₹2400/–वार्षिक, कक्षा–VII से X तक ₹3600/– वार्षिक, कक्षा–I से X तक(छात्रावासी) ₹6000/– वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने एवं दर संशोधन के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय ₹519.64 करोड़ (पाँ च सौ उन्नीस करोड़ चौसठ लाख रू०) मात्र की स्वीकृति दी गई।

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के ही तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 से केन्द्र प्रायोजित ''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना'' तथा राज्य स्कीम से संचालित ''मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना'' अन्तर्गत अधिकतम वार्षिक सीमा के पुनर्निर्धारण हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 में संशोधन तथा इससे संबंधित संकल्प प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत संशोधित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2025–30 (Revised Bihar DRR Roadmap 2025-30) की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।

उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के नाम पर बक्सर जिले के डुमराँव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–302, दिनांक–24.02.2025 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कुल राशि रू० 14,52,15,000 (चौदह करोड़ बावन लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की योजना की स्वीकृति रद्द करते हुए राज्य स्कीम अन्तर्गत प्रस्तावित इस संगीत महाविद्यालय के विभिन्न भवनों (फर्नीचर सहित), आंतरिक पथ एवं चाहरदीवारी के निर्माण हेतु कुल रू० 87,81,43,400/– (सत्तासी करोड़ इक्यासी लाख तैंतालीस हजार चार सौ रूपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

उच्च शिक्षा विभाग के ही तहत नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के संपादन हेतु इस विभाग के सचिवालय के अन्तर्गत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 161 (एक सौ एकसठ) पदों के सृजन तथा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित उच्च शिक्षा निदेशालय को कार्यबल सहित वर्तमान स्वरूप में उच्च शिक्षा विभाग में अंगीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

गृह विभाग के अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत बिहार विशेष सशस्त्र बल–01, गोरखा वाहिनी के स्थापना एवं आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु अंचल–नौबतपुर, मौजा–चर्रा, थाना नं०–139 अन्तर्गत रकवा–30.00 एकड़ चिन्हित भूमि का MVR-2016-17 के आधार पर भू–अर्जन के निमित्त अनुमानित प्राक्कलित राशि ₹40,54,41,038 (चालीस करोड़ चौवन लाख इकतालीस हजार अड़तीस रू०) मात्र की स्वीकृति देने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ही तहत बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxiliary Police) को आदेश निर्गत की तिथि से वर्द्धित मानदेय का भुगतान करने तथा वर्तमान में कार्यरत सैप जवान के अनुबंध विस्तारीकरण सहित वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु कुल 17000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक (Ex-Army) एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिसबल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों (Ex- Paramilitary, CAPF) को सैप बल के रूप में अनुबंध पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गई।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–131ज्ञ (छ) के आलोक में संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में टॉय ट्रेन के पुनः परिचालन के क्रम में नामांकन के आधार पर दानापुर रेल मंडल, पूर्व मध्य रेलवे के माध्यम से ब्रीज रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज सिस्टम एवं अन्य कार्य कराने हेतु कुल ₹581.73 लाख (पाँच करोड़ एकासी लाख तेहत्तर हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना'' के अन्तर्गत निर्धारित छात्रावास अनुदान की दर रू० 1000/–(रू० एक हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह को संशोधित करते हुए रू० 2000/–(रू० दो हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह पुनर्निर्धारित किये जाने एवं छात्रावास अनुदान दर के पुनर्निधारण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 19,56,00,000/–(रू० उन्नीस करोड़ छप्पन लाख) मात्र की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ही तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 से राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत पात्रता की शर्त्तों के तहत निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा रू० 1,50,000/–मात्र को बढ़ाकर रू० 3,00,000/–मात्र किये जाने एवं योजना पुनरीक्षण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 1,17,98,40,000/–(रू० एक सौ सत्रह करोड़ अंठानवे लाख चालीस हजार) मात्र की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ही तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा–I से IV तक रू० 1200/– वार्षिक, कक्षा–V से VI तक रू० 2400/–वार्षिक, कक्षा–VII से X तक रू० 3600/– वार्षिक, कक्षा–I से X तक (छात्रावासी) रू० 6000/– वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने एवं छात्रवृत्ति दर के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 17,51,56,00,000/–(रू० सत्रह सौ इक्यावन करोड़ छप्पन लाख) मात्र की स्वीकृति दी गई।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संस्थान यथा–भारतीय बीज सहकारी समिति लि० (BBSSL) एवं राष्ट्रीय सहकारी जैविक लि० (NCOL) हेतु राज्य स्तर के सरकारी संस्थान क्रमशः बिहार राज्य बीज निगम (BRBN) तथा बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेन्सी (BSSOCA) को 'राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी' नामित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2026 पर स्वीकृति प्रदान की गई।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित पी०एम० श्री योजना के तहत राज्य के लिए चयनित कुल 47 प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए उपबंधित राशि कुल ₹40,00,00,000/–(चालीस करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत ''बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2026'' की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत ''बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कन्डक्ट (1st एमेन्डमेंट) रूल्स, 2026'' की स्वीकृति दी गई।

सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र (जी०सी०सी०) नीति–2026 की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के ही तहत राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य में अबतक लम्बित विपत्रों के विरूद्ध भुगतान हेतु रू० 5,00,00,00,000/– (रूपये पाँच अरब) मात्र राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 के अनुरूप उद्यमियों को उनके लंबित दावों का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रू० 1700.00 करोड़ (एक हजार सात सौ करोड़ रूपये) मात्र का अतिरिक्त उपबंध बिहार आकस्मिकता निधि (बी०सी०एफ०) से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार निवास, नई दिल्ली पर अधिरोपित अधिभार से संबंधित राशि का भुगतान ''आपत्ति सहित (Under Protest)'' किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रूपये 6,01,48,000/–(छः करोड़ एक लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग के अन्तर्गत गृह विभाग, बिहार, पटना से सेवा निवृत्त एवं वर्तमान में संविदा पर नियोजित श्री रंजीत शंकर प्रसाद, (बिहार अभियोजन सेवा) जिला अभियोजन पदाधिकारी (नया पदनाम मुख्य अभियोजक) की संविदा अवधि को पूर्व से निर्धारित दर एवं शर्त्तों के आधार पर अगले 01 (एक) वर्ष (दिनांक–01.02.2026 से 31.01.2027) तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा–संशोधित) में प्रयुक्त पदनाम–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष–को ''अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष'' के रूप में प्रतिस्थापित करने तथा ''अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी'' के कार्य एवं दायित्व को निर्धारित किये जाने हेतु नियमावली में अनुसूची–1 के पश्चात अतिरिक्त अनुसूची–02 जोड़े जाने की स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत ''बिहार इको–टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी'' के गठन हेतु संगम ज्ञापन एवं उप–नियम 2026 की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी–2026 की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के ही तहत राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प ग्रामीण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग के साथ–साथ अन्य विभागों से संबंधित उत्पादों के समुचित विपणन के एकीकृत प्रबंधन एवं नियमन हेतु ''बिहार राज्य विपणन प्राधिकार'' के गठन, बिहार सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत इसके निबंधन एवं इससे संबंधित ''संगम ज्ञापन एवं नियम'' की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत ''बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026'' के गठन की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत राज्य के विभिन्न जिलों एवं अनुमंडल स्तर पर भू–राजस्व संबंधी कार्यों के सफल क्रियान्वयन तथा अनुमंडल एवं जिला के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिये मूल कोटि के अपुनरीक्षित पे बैंड–9,300 –34,800/–, ग्रेड पे–5,400/–तथा पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल–9 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पदनाम से कुल–101 पदों का स्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति दी गई।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य के सात निश्चय–3 अंतर्गत निर्धारित कार्य के आलोक में अधिष्ठापित होने वाले चीनी मिलों की संभाव्यता (Feasibility) के बिन्दु पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, चीनी मिल की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने तथा अन्य सेवाओं के लिए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि० की सेवा लिए जाने एवं विभिन्न सेवाओं के लिए दर की स्वीकृति दी गई।

सिविल विमानन विभाग के अन्तर्गत नवगठित ''सिविल विमानन विभाग'' में विभिन्न संवर्ग के 99 नये पदों के सृजन, वायुयान संगठन निदेशालय एवं उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय में पूर्व से सृजित 176 पदों को विभाग में सम्मिलित/हस्तांतरण किये जाने/पूर्व से सृजित 04 पदों के प्रत्यर्पण/कतिपय पदों के पदनाम एवं प्रकृति में परिवर्तन तथा कतिपय पदों के अवक्रमण/उत्क्रमण की स्वीकृति दी गई।

उक्त प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव, समान्य प्रशासन विभाग डॉ0 बी0 राजेन्द्र ने बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता नियमावली के तहत आज की कैबिनेट में बिहार सरकार के कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के दुरूपयोग के विरूद्ध दंड प्रावधानों पर लगी मुहर के संबंध में बताया तथा उद्योग विभाग के तहत पारित निर्णयों के संदर्भ में सचिव श्री कुंदन कुमार ने प्रकाश डाला।

————————————